भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 1027
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में भारतीय प्रवासी श्रमिकों का शोषण

1027. **सुश्री सयानी घोषः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार धूर्त भर्ती एजेंटों/ठेकेदारों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद विदेशों में फंसे भारतीय प्रवासी श्रमिकों के मामलों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से देश-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं और भारतीय दूतावासों द्वारा उनकी रिहाई या प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत में कार्यरत अवैध भर्ती एजेंटों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एजेंटों की संख्या कितनी है जिन्हें अभियोजित किया गया और उन पर दण्ड लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार के पास शोषण/अनुबंध उल्लंघन का सामना करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षा/शिकायत निवारण/कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए गंतव्य देशों के साथ कोई द्विपक्षीय तंत्र है/समझौते हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्प्रवास मंजूरी देने से पहले विदेशी नियोक्ताओं और भारतीय भर्ती ठेकेदारों की साख को सत्यापित करने के लिए क्या निवारक उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार विदेश में भारतीय प्रवासियों की कपटपूर्ण भर्ती प्रथाओं का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[**श्री कीर्तवर्धन सिंह**]

(क से ग) यह विभिन्न देशों में विदेशी रोजगार के लिए संदिग्ध संस्थाओं द्वारा अधिकांशत: सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भारतीय नागरिकों, जिनमें युवा भी शामिल हैं, को लुभाने वाले नकली भर्ती नौकरी प्रस्तावों की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आईं।

मंत्रालय को देश में अवैध/ फर्जी भर्ती एजेंटों/एजेंसियों की ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में तब पता चलता है, जब पीड़ित प्रवासियों या उनके रिश्तेदारों/मित्रों/परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है, जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा धोखा दिया गया है, क्योंकि ये भारतीय नागरिक धोखाधड़ी / फर्जी भर्ती एजेंटों/एजेंसियों तथा अवैध चैनलों के माध्यम से स्वेच्छापूर्वक विदेश जाते हैं।
सरकार विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात, उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के बिना भर्ती एजेंट (आरए) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है । जब भी अवैध प्रवासन/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य कानून के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है। साइबर डोमेन में, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस अधिकारियों के सहयोग से, अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। पंजाब सहित पूरे भारत से अवैध भर्ती एजेंसियों के सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का अनुरोध नियमित रूप से गृह मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

मंत्रालय, नकली नौकरी रैकेट के खतरों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में ईमाइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से परामर्शी जारी करता है। जून 2025 तक, देश में कुल 3,505 अवैध एजेंटों को प्रवासी पोर्टल पर अधिसूचित किया जा चुका है। प्रवासी पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और वैध प्रवास पर जागरूकता अभियान पूरे देश में मंत्रालय द्वारा कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, सूचना सत्र, मीडिया समूहों के लिए डिजिटल अभियान, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के माध्यम से चलाया गया है। इन सत्रों के दौरान प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी), ई-माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी जैसी प्रवासियों के लिए लाभकारी योजनाओं को सभी हितधारकों के ध्यान में लाया जाता है।

मंत्रालय, अवैध भर्ती एजेंसियों के मुद्दों और उत्प्रवासन नियमों और विनियमों के प्रवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। राज्य सरकारों के सहयोग से समय-समय पर विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मंत्रालय नियमित रूप से सुरक्षित और वैध प्रवास के लाभों के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने के लिए ऐसे आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है और नकली/अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने के तरीके सुझाता है। अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों पर नियमित सूचना साझा करने के अलावा, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं

(एसओपी) पर जानकारी, सोशल मीडिया पर गैरकानूनी सामग्री का पता लगाना, और साइबर स्कैमिंग के मामले अध्ययन प्रतिभागियों के साथ साझा किए जाते हैं।

(घ) भारत सरकार ने भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) सहित प्रमुख गंतव्य देशों के साथ कई द्विपक्षीय तंत्र और समझौते स्थापित किए हैं। इनमें श्रम और जनशक्ति सहयोग करार/समझौता ज्ञापन, घरेलू श्रमिकों पर करार/प्रोटोकॉल और संयुक्त कार्य समूह/संयुक्त समिति की बैठकें शामिल हैं, जो श्रमिक-सुरक्षा प्रावधानों के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं, भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती हैं, शिकायतों के समाधान की सुविधा प्रदान करती हैं और कानूनी सहायता ढांचे को मजबूत करती हैं। देशों के साथ हस्ताक्षरित माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमंट में नियमित संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित करने के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं से संबंधित ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। इन व्यवस्थाओं के साथ-साथ विदेशों में भारतीय मिशनों में हेल्पडेस्क, आश्रय सुविधाओं, ऑनलाइन शिकायत पोर्टलों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वित हस्तक्षेप में समर्पित तंत्र के साथ ये व्यवस्थाएं शोषण या अनुबंध उल्लंघन का सामना करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए समर्थन सुनिश्चित करते हैं।
(ङ और च) उत्प्रवास पोर्टल, भारतीय नागरिकों की उत्प्रवास प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, जो अपेक्षित उत्प्रवास जांच (ईसीआर) पासपोर्ट धारक हैं और रोजगार के उद्देश्य से 19 अधिसूचित ईसीआर देशों में से किसी में भी उत्प्रवास करते हैं। वेब-आधारित एप्लिकेशन उत्प्रवास की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, वैध, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तेज बनाता है। यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक सामान्य प्लैटफ़ार्म पर निर्बाध रूप से जोड़ता है और विदेश मंत्रालय को व्यापक और ऑनलाइन डाटाबेस पर कैपचर करने में सक्षम है। किसी भी प्रश्न/मुद्दे को हल करने के लिए प्रवासियों और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। फर्जी नौकरी प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों पर सलाह/अलर्ट भी पोर्टल पर होस्ट किए जाते हैं।

*****